

13.07.18

वकील अपीलान्ट के प्र-पत्र पर आज पेशी में
ली गई। अपी-का कथन है कि अपीलान्ट को
अपील जलत न्यायालय में पेश कर दी है। अपी-
सकाम न्यायालय में पेश करना चाहता है। प्रती
अपी-का प्र-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील
को वापिस लौटाने के आदेश दिये जाते हैं।
अपील को नियमावली के अनुसार लौटाया जावे। पत्रावली
केसल शुमार लेकर वापस लौटाया जाता
वापिस दफ्तर लो।

समाजीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

18-